

भा.कृ.अनु.प-औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय
ICAR-DIRECTORATE OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS RESEARCH
बोरीआवी-387310, आणद, गुजरात
BORIAVI - 387 310 [ANAND], GUJARAT

फा.स. 3-289/2020 -स्थापना/ 1381-89

दिनांक 08 जुलाई, 2020

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : कोविड-19 की रोकथाम के लिए निवारक उपायों के संबंध में।

Subject: Preventive measures to be taken for containment of COVID-19-reg.

निदेशालय के सभी स्थायी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के यह ध्यान में लाया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कार्यालय ज्ञापन संख्या: F.No.GAC-21-25/2020-CDN दिनांक 19 जून, 2020 के द्वारा कार्यालय में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाये जाने वाले निवारक उपाय बताये हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या:40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29 जून, 2020 को कोविड-19 की रोकथाम के लिए अनलॉक-2 पर एम.एच.ए. दिशानिर्देश जारी किये हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा पृष्ठांकन संख्या: F.No.GAC-21-24/2020-CDN, दिनांक 01 जुलाई, 2020 द्वारा पृष्ठांकित किया गया है। अतः सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यालय ज्ञापन (सलंगन) व एम.एच.ए. आदेश (सलंगन) में वर्णित निवारक उपाय/परामर्श का पालन करें।


It is brought to the notice of all the permanent, contractual and outsourcing employees of this Directorate that the ICAR has issued the precautionary measures to be taken for containment of COVID-19 in office vide Office Memorandum F.No.GAC-21-25/2020-CDN dated 19/06/2020. Ministry of Home Affairs, Govt. of India has issued Order No.40-3/2020-DM-I(A) dated 29/06/2020 regarding MHA guidelines on Unlock-2 for containment of COVID-19 which has been endorsed by ICAR vide Endorsement F.No.GAC-21-24/2020-CDN dated 01/07/2020. Therefore, all the employees are requested to take the precautionary measures/advisory mentioned in the above referred ICAR's Office Memorandum & MHA Order.

सभी पी.आई./सह-पी.आई./सी.सी.पी.आई./नोडल अधिकारी/प्रभारी/अनुभाग प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी (स्थायी/संविदात्मक/आउटसोर्सिंग) उपर वर्णित कार्यालय ज्ञापन व एम.एच.ए. आदेश में वर्णित कोविड-19 की रोकथाम के लिए निवारक उपायों का सख्ती से पालन करें।

All the P.I./Co-P.I./CCPI/Nodal Officers/Officers-In-Charge/Sectionals-In-Charge shall ensure that their subordinate staff (permanent/ contractual/outsourcing) should follow strictly the precautionary measures for containment of COVID-19 mentioned in the above referred O.M. and MHA Order.

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है

This is issued with the approval of the Competent Authority.



सहायक प्रशासनिक अधिकारी
Asstt. Administrative Officer

वितरण / DISTRIBUTION:

1. निदेशालय के सभी स्थायी वैज्ञानिकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, संविदाकमी एवं आऊटसोर्सिंग कर्मचारी, भा.कृ.अनु.प.-औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, बोरीआवी, आणंद, गुजरात।
2. पी.आई./सह-पी.आई./सी.सी.पी.आई./नोडल अधिकारी/प्रभारी/अनुभाग प्रभारी, भा.कृ.अनु.प.-औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, बोरीआवी, आणंद, गुजरात के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. प्रभारी (सुरक्षा/हाउसकिपिंग सर्विस/संपदा), भा.कृ.अनु.प.-औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, बोरीआवी, आणंद, गुजरात।
4. प्रभारी, कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई, भा.कृ.अनु.प.-औ.स.पा.अनु. निदेशालय, बोरीआवी, आणंद गुजरात से अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की कृपा करे।
5. प्रभारी (भण्डार), भा.कृ.अनु.प.-औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, बोरीआवी, आणंद, गुजरात।
6. निदेशक के निजी सचिव, भा.कृ.अनु.प.-औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, बोरीआवी, आणंद, गुजरात।
7. सूचना पट्ट, भा.कृ.अनु.प.-औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, बोरीआवी, आणंद, गुजरात।
8. सूचना पट्ट, लांभवेल फार्म।
9. गार्ड फाईल।

